


16.10.2019

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थी को बकाया राशि जमा कराने हेतु जारी मांग नोटिस क्रमांक/ग्रापंमं/2019/289 दिनांक 17.2.2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को Admit Stage पर ही प्रार्थी के अधिवक्ता ने Not Press में खारिज करने का अनुरोध किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर जरिये Not Press खारिज किया जाता है। निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज होकर फ़ैसल शुमार हो तथा नंबर से कम हो।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Not Press
16.10.2019

